प्रेषिका,

कुमुद लता त्रिपाठी
अपर सिविल जज, सी0डि0
कक्ष सं0 15 इलाहाबाद।

सेवा में,

माननीय महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश
इलाहाबाद।

विषयः जनपद इलाहाबाद से स्थानांतरण के सम्बंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थिनी श्रीमती कुमुदलता त्रिपाठी, सिविल जज (सी0डि0) के पद पर जनपद इलाहाबाद में तैनात है। मेरे पति श्री अभिषेक कुमार पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी के पद पर जनपद वाराणसी में तैनात हैं। वर्तमान समय में प्रार्थिनी 6 माह की गर्भवती है। प्रार्थिनी को गर्भावस्था में विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सम्बंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान समय में प्रार्थिनी के पास उसकी देख–भाल करने हेतु कोई उपस्थित नही है। प्रार्थिनी को अकेले रहने के कारण विभिन्न प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मेरा स्थानांतरण जनपद इलाहाबाद से जनपद वाराणसी में किए जाने के सम्बंध में उदारता पूर्वक विचार करने की कृपा करें, जिससे मैं सरकारी दायित्वों के साथ–साथ अपने स्वास्थ्य सम्बंधी एवं पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन भली भाँति कर सकूँ।

महोदय, यदि पति, पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं तो माननीय राज्यपाल द्वारा पारित शासनादेश सं0 19/1/1976 (1)– कार्मिक– में प्रावधान निम्नवत है–

यदि पति–पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं तो उनकी नियुक्ति करते समय दोनों को एक साथ रखने का यथासंभव प्रयास किया जाए।

अतः उपरोक्त निवेदन के अनुक्रम में उदारतापूर्वक विचार किए जाने की कृपा करें।

मैं इस स्थानांतरण के सम्बंध में कोई भी यात्रा भत्ता इत्यादि की मांग नही करूंगी। आप की अति कृपा होगी।

सादर।

दिनांक–04.09.2019

भवदीया

Kumud Lata Tripathi
04/09/19

(कुमुद लता त्रिपाठी)
अपर सिविल जज, सी0डि0
कक्ष सं0 15 इलाहाबाद।

Office of the District Judge, Allahabad
Letter No. 3142/I Dated 04/9/19

Forwarded.

Anil Kr. Ojha 04-09-19
District Judge, Allahabad

प्रेषिका,

कुमुद लता त्रिपाठी
अपर सिविल जज, सी0डि0
कक्ष सं0 15 इलाहाबाद।

सेवा में,

माननीय महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय
इलाहाबाद।

द्वारा,

माननीय जनपद न्यायाधीश
इलाहाबाद।

विषयः जनपद इलाहाबाद से स्थानांतरण के सम्बंध में।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थिनी श्रीमती कुमुदलता त्रिपाठी, सिविल जज (सी0डि0) के पद पर जनपद इलाहाबाद में तैनात है। मेरे पति श्री अभिषेक कुमार पाण्डेय, क्षेत्राधिकारी के पद पर जनपद वाराणसी में तैनात हैं। वर्तमान समय में प्रार्थिनी 6 माह की गर्भवती है। प्रार्थिनी को गर्भावस्था में विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सम्बंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान समय में प्रार्थिनी के पास उसकी देख–भाल करने हेतु कोई उपस्थित नही है। प्रार्थिनी को अकेले रहने के कारण विभिन्न प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

अतः महोदय से निवेदन हैं कि उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मेरा स्थानांतरण जनपद इलाहाबाद से जनपद वाराणसी में किए जाने के सम्बंध में उदारता पूर्वक विचार करने की कृपा करें, जिससे मैं सरकारी दायित्वों के साथ–साथ अपने स्वास्थ्य सम्बंधी एवं पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन भली भॉति कर सकूँ।

महोदय, यदि पति, पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं तो माननीय राज्यपाल द्वारा पारित शासनादेश सं0 19/1/1976 (1)– कार्मिक– में प्रावधान निम्नवत है–

यदि पति–पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं तो उनकी नियुक्ति करते समय दोनों को एक साथ रखने का यथासंभव प्रयास किया जाए।

अतः उपरोक्त निवेदन के अनुक्रम में उदारतापूर्वक विचार किए जाने की कृपा करें।

मैं इस स्थानांतरण के सम्बंध में कोई भी यात्रा भत्ता इत्यादि की मांग नही करूंगी। आप की अति कृपा होगी।

सादर।

दिनांक–04.09.2019

भवदीया

Kumud Lata Tripathi
04/09/19

(कुमुद लता त्रिपाठी)
अपर सिविल जज, सी0डि0
कक्ष सं0 15 इलाहाबाद।

Office of the District Judge, Allahabad
Letter No. 3142/2 Dated 04/9/19
Forwarded.
Anil Kr. Ojha 04-09-19
District Judge, Allahabad